



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1301/2025

प्रवीण कुमार दुबे

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
लखनऊ एवं 8 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – दिनेश कुमार मिश्रा, पंकज मिश्रा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. आज दाखिल किया गया पूरक शपथपत्र अभिलेख पर ग्रहण किया गया है।
2. वाद सुना।
3. यह रिट याचिका एक अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों का अनुरोध करते हुए दायर की गई है:

“(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विपक्षी संख्या 1 और 2 को पट्टाधारक (विपक्षी संख्या 9) के विरुद्ध जांच करने के लिये एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया जाए क्योंकि विपक्षी संख्या 5 (क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी, अयोध्या खनन विभाग) ने अवैध खनन के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 4 में निहित है,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और न्यायहित में विपक्षी संख्या 9 के पट्टे को विधि के अनुसार रद्द करने के लिये समुचित कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए, न्यायहित में विपक्षी संख्या 1 और 2 को रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 5 में निहित दिनांक 4.12.2025 के आवेदन पर उचित आदेश पारित करने का आदेश दिया जाए।”

4. इस संदर्भ में हम इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.4.2024 को जनहित याचिका संख्या 337/2024 में पारित आदेश का उल्लेख कर सकते हैं, जो उसी अधिवक्ता द्वारा दायर किया गया था, और जो निम्नवत है:

“1. वाद सुना।

2. याचिकाकर्ता अयोध्या सिविल न्यायालय में व्यवसायरत अधिवक्ता होने का दावा करता है। उसने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण और सिविल/जिला अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने में विफलता का अभिकथन करते हुए यह याचिका दायर की है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अयोध्या कैंट, स्टेशन मुख्यालय, स्टेशन कमांड के कार्यवाहक कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 11.02.2023 के पत्र का आश्रय लिया है, जो अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित है और जिसमें याचिकाकर्ता के पत्र का उल्लेख है। उसने भी अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रक्षा अधिकारियों को भेजे गए दिनांक 19.02.2024 के पत्र का अआश्रय लिया है।

4. हालांकि, विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता पर आपत्ति जताई है। उन्होंने हमारे समक्ष जनहित याचिका संख्या 483/2023 में पारित दिनांक 25.05.2023 का आदेश प्रस्तुत किया है, जिसमें याचिकाकर्ता के चार आपराधिक मामलों का उल्लेख है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उक्त जनहित याचिका संख्या 483/2023 पर विचार करने से इनकार कर दिया।

5. दिनांक 25.05.2023 का उक्त आदेश निम्नवत है:

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी

अधिवक्ता श्री उमेश चंद्र को सुना।

2. इस जनहित याचिका के माध्यम से अयोध्या जिले के सोहावल तहसील के परगना मंगलसी के बनवीरपुर गांव में स्थित खसरा प्लॉट संख्या 809 (खालिहान के रूप में दर्ज) में कथित अवैध खनन के संबंध में प्रार्थना की गई है।

3. अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य अधिवक्ता को दिनांक 24.05.2023 के पत्र में कुछ निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों को अभिलेख में ग्रहण किया गया है।

4. राज्य अधिवक्ता ने उक्त निर्देशों के आधार पर बताया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच की गई है और छह सरकारी अधिकारियों वाली जांच समिति द्वारा दिनांक 17.02.2023 को एक आख्या भी प्रस्तुत की गई है।

5. यह भी कहा गया है कि उक्त जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है।

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, अन्य कुछ निर्णीत करना अपेक्षित नहीं जिसे तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

7. हालांकि, मामले के समापन से पूर्व, हम यह बताना चाहेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 24.05.2023 के पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता का निम्नलिखित मामलों में आपराधिक इतिहास है:

क. मुकदमा अपराध संख्या 71/2017, अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना- कैंट, अयोध्या, जहां आरोपपत्र दिनांक 11.04.2017 प्रस्तुत किया गया है।

ख. धारा 110छ दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 348/2017

ग. धारा 323, 504, 506, 427 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 100/2019, पुलिस थाना- कैंट, अयोध्या, जहां दिनांक 27.05.2019 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

घ. धारा 504, 506, 427 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 304/2020, पुलिस थाना- कैंट, अयोध्या, जहां दिनांक 25.07.2021 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

ड. भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 352, 323, 504, 506 और 427 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 268/2011, पुलिस थाना- कैंट, अयोध्या, जहां दिनांक 28.07.2021 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति की ओर से जनहित याचिका पर सुनवाई करना अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित जनहित याचिका न्यायशास्त्र की धारा को दूषित करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य निर्धनता या अन्य किसी कारण से प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसे लोगों की सहायता करना है।

9. न्यायालय ऐसे आपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति की ओर से जनहित याचिका की कार्यवाही के दुरुपयोग पर आंखें नहीं मूंद सकती।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत, हम याचिकाकर्ता को भविष्य में जनहित याचिका का दुरुपयोग न करने की चेतावनी देते हैं।

6. हालांकि, याचिकाकर्ता ने एक अन्य याचिका, जनहित याचिका संख्या 1094/2023 दायर की थी, जिसका निस्तारण दिनांक 24.11.2023 को निम्नवत किया गया:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.बी. पांडेय, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के उप सॉलिसिटर जनरल, श्री देव ऋषि कुमार अरोरा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी संख्या 4 से 9 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और श्री आशीष चतुर्वेदी के वादधारक श्री अरविंद कुमार यादव, प्रतिवादी संख्या 10- अयोध्या विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता, की दलीलें सुनी गईं।

2. जनहित में दायर इस याचिका में युद्धाभ्यास, रेंज फायरिंग और तोपखाना अभ्यास अधिनियम, 1938 की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 20.01.2021 के माध्यम से राइफल रेंज के उपयोग के लिए अधिसूचित भूमि पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में शिकायत उठाई गई है।

3 अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न गांवों में स्थित लगभग 13391 एकड़ भूमि इस प्रयोजन के लिए आरक्षित की गई थी। उक्त भूमि के किसी भी भाग पर अतिक्रमण की स्थिति में, मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा ही कार्रवाई की जानी होती है, परन्तु यदि ऐसे किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए नागरिक प्रशासन का सहयोग मांगा जाता है, तो राज्य प्रशासन के लिए सेना को आवश्यक सहायता प्रदान करना अनिवार्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होगा, जैसा कि दिनांक 11.02.2023 के पत्र में अनुरोध किया गया है।

4. हम यह स्पष्ट करते हैं कि रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई राज्य भूमि पर अतिक्रमण या विधि का उल्लंघन करते हुए उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

5. इस निर्देश सहित यह जनहित याचिका निस्तारित की जाती है।

6. अयोध्या विकास प्राधिकरण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि भूमि के स्वामित्व का उचित सत्यापन किए बिना योजनाओं को स्वीकृत न प्रदान की जाए।

7. उपरोक्त जनहित याचिका संख्या 1094/2023 भी उसी विषय से संबंधित थी जो इस जनहित याचिका में का विषय है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त जनहित याचिका संख्या 483/2023 में समन्वय पीठ के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये गए थे क्योंकि अधिकांश मामलों में याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

9. फिर भी, हमारा मत है कि याचिकाकर्ता को जनहित याचिका संख्या 483/2023 में दिनांक 25.05.2023 को पारित आदेश का खुलासा करना चाहिए था, हालांकि, आगे कोई टिप्पणी किए बिना, हमारा मत है कि याचिकाकर्ता के कहने पर मामले में आगे कार्यवाही करने के स्थान पर, बेहतर होगा कि हम पंजीकरण का निर्देश दें। इस याचिका में उल्लिखित विषय वस्तु के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की गई है।

10. अतः, हम इस याचिका का निस्तारण करते हुए रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि अयोध्या में रक्षा भूमि के संरक्षण के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पंजीकृत की जाए और पंजीकरण के बाद उक्त जनहित याचिका को परसों, अर्थात् दिनांक 24.04.2024 को नए मामलों की सूची में, इस आदेश की एक प्रति के साथ, उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। इस याचिका की एक प्रति भी उक्त जनहित याचिका के अभिलेख में रखी जाएगी।

11. यह प्रावधान भी किया जाता है कि भविष्य में यदि याचिकाकर्ता कोई जनहित याचिका दायर करता है, तो उसे जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 483/2023 में दिनांक 25.05.2023 को पारित

आदेश का उल्लेख करना होगा। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है और इस आदेश को याचिकाकर्ता के विरुद्ध ऐसी कोई टिप्पणी करने के रूप में नहीं पढ़ा या समझा जाना चाहिए।

5. निःसंदेह याचिकाकर्ता ने इस आदेश का खुलासा किया है, लेकिन अनुरोध किये गए अनुतोषों की प्रकृति के दृष्टिगत, हमारा मत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति, जो क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी, खनन अयोध्या हैं, इस मामले को पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 के विरुद्ध दर्ज की गई उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभी तक कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

6. फिर भी, यदि कोई अवैध खनन हो रहा है तो कलेक्टर और खनन अधिकारी मामले की जांच कर विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 9 को प्रदान किया गया खनन पट्टा रद्द करने का अधिकार उस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है जिसने प्रतिवादी संख्या 9 को पट्टा/अनुज्ञा पत्र जारी किया है।

7. हमारा आदेश संबंधित अधिकारी को संसूचित किया जाए।

8. उपरोक्त के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले में आगे कार्यवाही का हमें कोई कारण नहीं प्रतीत होता। तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

6 जनवरी, 2026

जे. के. दिनकर